UPMP040053842020

CNR No. UPMP040053842020
Details 1792/24
Signature

Presented on : 17-06-2020
Registered on : 17-06-2020
Decided on : 19-12-2025
Duration : 5 years, 6 months, 2 days

IN THE COURT OF
J.M.Ist class-cum-Addl.Munsif I AT ,Mainpuri
Presided Over by ANSHIKA LAL
Cri. Case/819/2020

न्यायालय अपर सिविल जज (अवर वर्ग)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 1, मैनपुरी
पीठासीन अधिकारी– (अंशिका लाल), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) (JIO CODE– UP 03271)
दाण्डिक वाद संख्या– 1792/2024
राज्य बनाम नीलेश कुमार।
नीतेश कुमार

राज्य

बनाम

(i)– श्री ~~नीलेश~~ नीतेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार,
निवासी– ग्राम पडौरा, थाना– एलाऊ, जिला– मैनपुरी।

मु०अ०सं०– 22/2019
अन्तर्गत धारा–294 भा.दं.सं.
थाना–महिला थाना, जिला– मैनपुरी ।

निर्णय

2– थाना महिला थाना, जिला मैनपुरी द्वारा अभियुक्त ~~नीलेश~~ नीतेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार, निवासी– ग्राम पडौरा, थाना– एलाऊ, जिला– मैनपुरी के विरुद्ध अपराध संख्या– 22/2019, अन्तर्गत धारा– 294 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने पर प्रकरण का विचारण प्रारंभ किया गया।

3– **तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** दिनांक– 17.11.2019 को वादिनी कां. १०४५ मन्जू मय हमराही महिला कां. १३७ मोनी, महिला कां. ४०७ सविता पाण्डेय एन्टी रोमियो टीम के रोकने जुर्म जयराम व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में मामूर थी कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि लोहिया पार्क में राम मनोहर लोहिया मूर्ति के पास एक व्यक्ति आने–जाने वाली महिलाओं के साथ अश्लील फब्तियां कस रहा है। सूचना पर विश्वास करके कां. ९९८ कैलाश कुमार को बाला–बाला तलब कर लिया। मुखबिर के साथ चलकर बताये गये स्थान पर चल दिये। जब हम पुलिस वाले लोहिया पार्क में राम मनोहर लोहिया मूर्ति वाले तिराहा मोड़ पर पहुंचे तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वहीं व्यक्ति है और मुखबिर चला गया था। हम पुलिस वाले मूर्ति के पास बांई ओर खड़े होकर सुनने व देखने लगे तो खड़ा व्यक्ति पार्क में घूमने वाली लड़कियों पर फब्तियां कस रहा था कि मेरी जान यहां आओ। आने–जाने वाली लड़कियों को बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। कानों से सुनकर जब हम पुलिस वालों को पूर्ण विश्वास हो गया तब हमने घेर–घोर करके एक बार दबिश देकर राम मनोहर लोहिया मूर्ति के पास खड़े व्यक्ति को समय करीब 11:10 बजे कां. ९९८ कैलाश कुमार एन्टी रोमियो टीम, थाना– कोतवाली की मदद से पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूंछने पर व्यक्ति ने अपना नाम नीतेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार निवासी– पड़ौरा, थाना– एलाऊ, जिला– मैनपुरी उम्र करीब– 26 वर्ष बताया। कां. ९९८ कैलाश कुमार द्वारा जामा तलाशी ली तो पहने कपड़ों के अलावा कोई वस्तु

बरामद नहीं हुई। कारण गिरफ्तारी बताते हुए अन्तर्गत धारा- 294 भारतीय दंड संहिता पुलिस हिरासत में लिया गया। क्योंकि अभियुक्त का यह जुर्म धारा- 294 भारतीय दंड संहिता की हद को पहुंचता है। आने वाली महिलाओं एवं जनता के व्यक्तियों से गवाही को कहा गया तो भलाई-बुराई का कारण बताते हुए जनता का कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। दौरान गिरफ्तारी माननीय मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश-निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजनों को उचित माध्यम से दी जायेगी। फर्द मुझ महिला कां. द्वारा मौके पर लिखकर पढ़कर सुनकर हमराहीयान के हस्ताक्षर बनवाये जाते हैं।

4- वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना महिला थाना, जिला मैनपुरी में मु०अ०सं०- 22/2019, अन्तर्गत धारा-294 भा.दं.सं., अभियुक्त नीलेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार, निवासी- ग्राम पडौरा, थाना- एलाऊ, जिला- मैनपुरी के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना करते हुए घटना स्थल का मानचित्र बनाया तथा गवाहान के बयान अंकित किये, संकलित प्रबल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नीलेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये अन्तर्गत धारा-294 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का अरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

5- न्यायालय में अरोप पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त नीलेश कुमार को तलब किया गया। अभियुक्त नीलेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार उपस्थित आया और अपनी जमानत करायी। अभियुक्तगण को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुपालन में नकलें प्राप्त करा दी।

6- अभियुक्त नीलेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार के विरुद्ध न्यायालय उपस्थित आने पर दिनांक 18.08.2021 को अन्तर्गत धारा- 294 भा.दं.सं. में आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की।

7- अभियोजन पक्ष को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है-

क्रम संख्या	नाम साक्षी	साक्ष्य का प्रकार
पी.डब्लू. 1	मंजू (वादिनी मुकदमा)	औपचारिक साक्षी
पी.डब्लू. 2	सविता पाण्डेय	औपचारिक साक्षी
पी.डब्लू. 3	मोनी	औपचारिक साक्षी
पी.डब्लू. 4	कां. सी.सी. 1447 कैलाश कुमार	औपचारिक साक्षी
पी.डब्लू. 5	इंस्पेक्टर (महिला थाना) एकता सिंह	औपचारिक साक्षी
पी.डब्लू. 6	L.C. 1624 सीमा सिंह	औपचारिक साक्षी

8- अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्यों को साबित कराकर प्रदर्श अंकित कराया गया है-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	प्रपत्र	नाम साक्षी
1.	प्रदर्श क- 1	तहरीर	पी.डब्लू. 1 वादिनी मुकद्दमा मंजू
2.	प्रदर्श क- 2	नक्शा-नजरी	पी०डब्लू०-5 इंस्पेक्टर एकता सिंह
3.	प्रदर्श क- 3	आरोप-पत्र	पी०डब्लू०-5 इंस्पेक्टर एकता सिंह
4.	प्रदर्श क- 4	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी०डब्लू०-6 सीमा सिंह
5.	प्रदर्श क- 5	जी.डी.	पी०डब्लू०-6 सीमा सिंह

9- अभियुक्त नीलेश कुमार पुत्र प्रेम कुमा के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. दिनांक 12.12.2025 को लेखबद्ध किये गये, जिसमें उनके द्वारा घटना झूंठे आरोप लगाकर मुकद्दमा दर्ज करना बताया है ना, गवाह पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3, पी०डब्लू० 4, पी०डब्लू० 5 एवं पी०डब्लू० 6 के द्वारा दिए गये बयान को असत्य व झूंठे तथ्यों पर मनगढन्त कहानी बनाकर गवाही देना बताया है। मुकद्दमा गलत लिखाना बताया है।

10– अभियोजन की ओर से **साक्षी पी.डब्लू.– 1 मंजू (वादिनी मुकद्दमा)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " वर्तमान में रिजर्व पुलिस लाइन मैनपुरी में कांस्टेबल के पद पर तैनात हूं। वर्ष 2019 में मैं महिला थाना, मैनपुरी में कांस्टेबल के पद पर तैनात हूं। वर्ष 2019 में मैं महिला थाना मैनपुरी के पद पर तैनात थी। दिनांक– 17.11.2019 को मैं हमराही महिला कांस्टेबल १३७ मोनी, ४०७ सविता पांडे, एंटी रोमियो टीम जुर्म जयराम व शांति व्यवस्था ड्यूटी में मामूर थी कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि लोहिया पार्क में राममनोहर लोहिया मूर्ति के पास एक व्यक्ति आने –जाने वाली महिलाओं के साथ अश्लील फब्तियां कस रहा है। सूचना पर विश्वास करके कां. ९९८ कैलाश कुमार को तलब कर लिया। मुखबिर के साथ हम लोग चलकर बताये गये स्थान पर गये। जब हम पुलिस वाले लोहिया पार्क में बताये गये स्थान पर गये जब हम पुलिस वीले लोहिया पार्क में राममनोहर लोहिया मूर्ति वाले तिराहा मोड़ पर पहुंचे तो मुखविर ने इशारा करके बताया कि सामने को व्यक्ति खड़ा है। वही व्यक्ति है और मुखबिर चला गया। हम पुलिसवाले मूर्ति के पास कई ओर खड़े होकर सुनने व देखने लगे। तो खड़ा व्यक्ति पार्क में घूमने वाली लड़कियों पर फब्तियां कस रहा था कि मेरी जान यहां आओ आने जाने वाली लड़कियों को बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। कानों से सुनकर जब हम पुलिसवालों को विश्वास हो गया तब हमने घेर घोर करके एक बार दबिश देकर राममनोहर लोहिया मूर्ति के बाद खड़े व्यक्ति को समय करीब 11:10 बजे कां. ९९८ कैलाश कुमार एन्टी रोमियो टीम थाना कोतवाली की मदद से पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूंछने पर उसने अपना नाम नीतेश (handwritten; printed: नीलेश) कुमार पुत्र श्री प्रमोद कुमार निवासी पगैरा, थाना– एलाऊ जिला– मैनपुरी बताया व उम्र करीब २६ वर्ष बताया। कां. ९९८ कैलाश कुमार द्वारा जामा तलाशी ली तो पहने कपड़ों के अलावा कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। कारण गिरफ्तारी बताते हुये अन्तर्गत धारा– 294 भारतीय दंड संहिता पुलिस हिरासत में लिया गया। क्योंकि अभियुक्त का यह जुर्म धारा– 294 भारतीय दंड संहिता को पहुंचता है। आने वाले महिलाओं एवं जनता के व्यक्तियों से गवाही को कहा गया। भलाई–बुराई के कारण बताते हुये कोई व्यक्ति गवाही के लिये तैयार नहीं हुआ। पर मेरे द्वारा मौके पर लिखपढ़ कर सुनकर हमराहीयान के हस्ताक्षर बनवाये गये थे। फर्द पत्रावली के कागज संख्या– 4(अ)/3 पर मौजूद है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसको मैं बखूबी पहचानती हूं। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उक्त फर्द के आधार पर एफ.आई.आर. पंजीकृत की गयी। विवेचक द्वारा मुझसे पूंछतांछ करके मय बयान अंकित किया गया था। "

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.–1 मंजू (वादिनी मुकद्दमा) से जिरह की गयी, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि " दिनांक 17.11.2019 को एंटी रोमियो टीम में थी, तो मुझे यह सूचना लगभग 11 बजे सुबह मिली। उस समय मैं लोहिया पार्क के पास ही थी। सूचना किसने दी नहीं बता सकती कोई पब्लिक का आदमी था। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर करीब 5–10 मिनट में पहुंच गयी। मैं बनी बता सकती कि रास्ते में मुझे कितने लोग मिले थे। किसी आदमी ने मुझे बताया था कि राममनोहर लोहिया मूर्ति के पास एक लड़का आने जाने वाली महिलाओं पर Comment कस रहा है । जो व्यक्ति महिलाओं पर कमेन्ट कस रहा है उस समय वो अकेला था। उस समय वहां पर कोई महिला नहीं थी। बताकर चली गयी थी। मुझे उस महिला का नाम पता नहीं मालूम। किसी ने अपना नाम पता नहीं बताया था। लोहिया पार्क में Main Gate से रामनोहर लोहिया की मूर्ति करीब 200 की दूरी पर है एवं मूर्ति व टहलने वाला रास्ता करीब 100 मीटर की दूरी पर है। राममनोहर लोहिया मूर्ति के पास कोई महिलायें नहीं बैठी थीं। मूर्ति के पास से महिलायें गुजर रही थीं एन्टी रोमियो टीम के कांस्टेबल कैलाश को मैंने बुलाया। कैलाश मेरे पास करीब 5 मिनट में आये। कोतवाली की एन्टी रोमियो भी लोहिया पार्क के पास ही थी। पूरी टीम नहीं आयी थी। सिर्फ कैलाश आये थे। राममनोहर लोहिया मूल्ति के पास हम कम से कम 10 मिनट खड़े रहे थे। उस व्यक्ति की किसी बातों को रिकार्ड नहीं किया था। सिर्फ देखा था। मैंने उस व्यक्ति को वहीं पकड़ लिया था। मैंने कोई जामा तलाशी नहीं ली थी। उसके पास की सामान बरामद नहीं हुआ था। रूपया पैसा कुछ नहीं मिला था उसके पास। मेरे सामने पकड़े व्यक्ति से कोई मोबाइल आदि चीज बरामद नहीं हुई थी। पकड़े व्यक्ति ने मेरे पर मेरी टीम की किसी महिला के साथ किसी तरह की कोई फब्तियां नहीं कसी थीं। इस पूरी घटना में करीब 15 मिनट लगे होंगे। उस समय पब्लिक के लोग थे। लोहिया पार्क का चौकीदार या कर्मचारी नहीं था। पकड़े व्यक्ति ने मुझे बताया था कि मैं पढ़ता हूं। पकड़ा व्यक्ति किस रंग के कपड़े पहले था नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि पकड़ा गया व्यक्ति आती–जाती महिलाओं से फब्तियां न कस रहा हो। यह कहना गलत है कि मैंने नीतेश (handwritten; printed: नीलेश) कुमार को लोहिया मूर्ति के पास से न पकड़ा हो। यह कहना गलत है कि मैंने एन्टी रोमियो कोतवाली टीम

के कहने पर झूंठी एफ.आई.आर. दर्ज करा दी हो। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना मैंने वहां न देखी हो। "

11– अभियोजन की ओर से साक्षी पी.डब्लू.– 2 सविता पाण्डेय ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " दिनांक 17.11.2019 ई को मैं कां. मंजू व कां. मोनी के साथ एन्टी रोमियो टीम को रोकने जुर्म जरायम व शान्ती व्यवस्था ड्यूटी में थी। जरिये मुखबिर सूचना मिली कि लोहिया पार्क में राममनोहर मूर्ति के पास एक व्यक्ति आने–जाने वाली महिलाओं के साथ अश्लील फब्तियां कस रहा है। सूचना पर विश्वास करके कां. ९९८ कैलाश कुमार को वाला–वाला तलब किया। हम लोग मुखबिर के बताये स्थान की ओर चल दिये जब हम पुलिस वाले लोहिया पार्क में राममनोहर लोहिया मूर्ति वाले मोड़ पर पहुंचे तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि सामने व्यक्ति जो खड़ा है। वही व्यक्ति है और मुखबिर यहां से चला गया। हम पुलिस वाले मूर्ति के पास खड़े होकर सुनने व देखने लगे। तो खड़ा व्यक्ति पार्क में घुमने वाली लड़कियों पर फब्तियां कस रहा था। **" मेरी जान यहां आओ "** आने–जाने वाली को बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। कानों से सुनकर जब हम पुलिस वालों में पूर्ण विश्वास हो गया तब हम पुलिस वालों ने घेर–घेर कर एक बारगी दबिश देकर राम मनोहर लोहया मूर्ति के पास खड़े व्यक्ति को समय – 11:10 बजे कां. ९९८ कैलाश कुमार एन्टी रोमियो टीम थाना कोतवाली की मदद से पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम नीलेश पुत्र प्रेमकुमार निवासी– पड़ौरा, थाना– एलाऊ, उम्र करीब– 26 वर्ष बताया। उसकी जामा तलाशी ली गयी पहने हुए कपड़ों के अलावा कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। कारण गिरफ्तारी बताये हुये पुलिस हिरासत में लिया गया। फर्द मौके पर तैयार की गयी थी। वह पढ़कर सुनाई गयी। सब कुछ सही होने पर मैंने अपना हस्ताक्षर किया था। फर्द संलग्न पत्रावली है, जो कागज संख्या– 4 अ/3 के रूप में मौजूद है। साक्षी ने फर्द को देखकर कहा कि यह वही फर्द है जो तैयार की गयी थी। फर्द पर पूर्व में प्रदर्श क–1 अंकित है। साक्षी ने फर्द पर अपने हस्ताक्षर को तस्दीक की। "

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.–2 सविता पाण्डेय से जिरह की गयी, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि " घटना का दिन मुझे याद नहीं है। दिन में करीब 11:30 बजे महिला थाने ने एक सूचना आयी थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति लोहिया पार्क में महिलाओं पर टिप्पणी कर रहा है। जिसे सुनने के बाद एस.एच.ओ. महोदय ने एन्टी रोमियो टीम के साथ हम लोगों को वहां जाने के लिये आदेशित किया था। हम कुल चार लोग आदेशानुसार लोहिया पार्क पहुंचे थे। इस सब कार्यक्रम में 30 मिनट लगे होंगे। जब हम लोग वहां पहुंचे तो उक्त अभियुक्त नीलेश कुमार वहां टलह रहा था। अभद्र टिप्पणी करते हुए मैंने नहीं देखा और लोगों ने देखा हो तो नहीं बता सकती। लोहिया पार्क में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए हैं। घटना कैमरे में कैद हुई अथवा नहीं। अपशब्द कहे जाने की हम लोगों ने कोई रिकार्डिंग नहीं की थी। किसी व्यक्ति महिला ने हम लोगों को नीलेश कुमार द्वारा अपशब्द कहे जाने व अभद्र व्यवहार किये जाने के विषय में घटनास्थल पर नहीं बताया। न्यायालय द्वारा जारी सम्मन के कारण आज मैं न्यायालय में गवाही हेतु आयी हूं। यह कहना सही है कि मैं न्यायालय में सही गवाही दे रही हूं। "

12– अभियोजन की ओर से साक्षी पी.डब्लू.–3 मोनी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " दिनांक 17.11.2019 को मैं मोनी महिला कां. १३७ महिला कां. मंजू, १०४५ एन्टी रोमियो टीम में शान्ति व्यवस्था में ड्यिूटी में लगे हुये थे। मुखबिर द्वारा सूचना मिली लोहिया पार्क राम मनोहर मूर्ति पर एक व्यक्ति आने जाने वाली महिला के साथ अश्लील फब्तियां कस रहा है। सूचना विश्वास कर ९९८ कैलाश को तलब कर मुखबिर के साथ बताये गये स्थान पर चल दिये जब हम पुलिस वाले तिराहे पर पहुंचे तो मुखबिर ने बताया कि सामने जो व्यक्ति खड़ा। वह व्यक्ति ओर मुखबिर चला गया। हम पुलिस वाले मूर्ति के पास खड़े होकर सुनने व देखने लगे। खड़ा वाले व्यक्ति घूमने वाली लड़कियों पर फब्तियां कस रहा था कि **" मेरी जान यहां आओ "** । आने–जाने वाली लड़की बड़ी शर्म महसूस कर रही थी। कानों से सुनकर पुलिस वालों को विश्वास हो गया। तब हम पुलिस वालों घेर–घोर करके एक बार दबिश देकर राममनोहर लोहिया मूर्ति के पास खड़े व्यक्ति समय 11 बजकर दस बजे कां. ९९८ कैलाश कुमार एन्टीरोमियो टीम अन्य कोतवाली की मदद से पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम नीलेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार, निवासी– पड़ौरा, थाना– एलाऊ, उम्र– 26 वर्ष बताया। कां. ९९८ कैलाश कुमार द्वारा तलाशी ली गयी तो पहने कपड़ों के अलावा कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। गिरफ्तारी का कारण बताते हुए अन्तर्गत धारा– 294 भारतीय दंड संहिता के तहत पुलिस हिरासत में लिया । आने जाने महिलाओं और जनता से व्यक्तियों से गवाही या भलाई–बुराई के कारण जनता का कोी व्यक्ति गवाही देने नहीं आया। दौरान गिरफ्तारी राष्ट्रीय मानव आयोग आदेश का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को

उचित माध्यम से दे दिये जाने पर फर्द मौके पर बनायी गयी। फर्द मेरे पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिस पर प्रदर्श क-1 डाला जा चुका है। "

को तस्दीक की। "

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.-3 मोनी से जिरह की गयी, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि " जनवरी 2019 में मेरी नियुक्त हुई थी। आज तक नियुक्त है। दिनांक -17.11.2019 को मैं महिला थाने में नियुक्त थी। महिला थाने में 2019 से 2023 तक महिला थाने में नियुक्त थी। दिनांक नहीं मालूम हाजिर अदालत मुल्जिम आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। दिनांक- 17.11.2019 को समय करीब दिन के 11 बजे मुझे मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कोई एक लड़का लोहिया के गेट पर अन्दर महिलाओं पर फब्तियां कस रहा। सूचना मिलने पर लोहिया के गेट पर लगभग 10 मिनट लगे होंगे। 11 बजे लोहिया पार्क पर गेट पर और अन्दर पहुंच गयी थी। हम तीन लोग एक साथ थे। सविता पान्डेय व मंजू और मैं स्वयं घटना स्थल पर हमने किसी महिला व स्त्री से नहीं पूंछा था। कौन सा लड़का फब्तियां व कमेन्ट कस रहा था। मुखबिर के बताने पर हम लोग पहुंचे थे। और उसी के बताने पर एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी थी। मुखबिर मुझे याद नहीं है। ऐसा भी सम्भव है कि अभियुक्त नीलेश कुमार का मुखबिर से पूर्व द्वेष रहा था। इस कारण उक्त षडयन्त्र रचकर एफ.आई.आर. दर्ज करायी हो। उक्त घटना में बतौर गवाह मेरा नाम प्रभारी निरीक्षक महिला थाना द्वारा लिखाया गया है। उक्त घटना में कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। सभी ने गवाही देने से मना कर दिया था। नीलेश को मेरे सामने हिरासत में नहीं लिया गया था। यह कहना गलत है कि मैंने उच्च अधिकारियों के कहने पर न्यायालय में झूंठी गवाही देने आयी हों। लोहिया पार्क के गेट पर अथवा अन्दर कोई चौकीदार नहीं था। हम लोगों ने लगभग दस मिनट खड़े होकर देखा था। तत्पश्चात कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई थी। अभियुक्त की घटना कृत की कोई रिकार्डिंग नहीं हुई। अभियुक्त ने किस प्रकार के कपड़े पहन रखे थे। मुझे याद नहीं। यह कहना गलत कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई हो। मैं न्यायालय में झूंठी गवाही दे रहा हूं। "

13- अभियोजन की ओर से साक्षी पी.डब्लू.-4 कां. सी.पी. 1447 कैलाश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " दिनांक- 17.11.2019 को महिला कां. 1045 मंजू ने मुझे फोन करके लोहिया पार्क में बुलाया था। मैं पांच मिनट बाद ही मौके पर पहुंच गया। मौके पर मुझे महिला कां. मोनी, महिला कां. मंजू, महिला कां. सविता पाण्डेय मौके पर मौजूद मिली। उसके पश्चात हम मुखबिर को साथ लेकर बताये गये स्थान पर चल दिये। जब हम पुलिस वाले लोहिया पार्क में राममनोहर लोहिया मूर्ति के तिराहे पर पहुंचे तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है जो वही व्यक्ति है जो आने-जाने वाली महिलाओं के साथ अश्लील फब्तियां कस रहा है और मुखबिर चला गया। जैसे हम पुलिस वाले मूर्ति के पास खड़े होकर बायीं ओर अभियुक्त को सुनने में देखने लगे तो अभियुक्त पार्क में घुमने वाली लड़कियों पर फब्तियां कस रहा था कि " **मेरी जान यहां आओ** " आने जाने वाली लड़कियों को परेशानी व शर्म महसूस हो रही थी। जब हम लोगों को कानों से सुनकर व देखकर विश्वास हो गया तब हम पुलिस वालों ने एक बार की दबिश देकर राम मनोहर लोहिया मूर्ति के पास से इस व्यक्ति को समय करीब 11:10 बजे सुबह पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूंछा तो उसने अपना नाम नीलेश कुमार बताया तथा पिताजी का नाम प्रेम कुमार बताया। पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए कपड़ों के अलावा कोई वस्तु बरामद नहीं हुयी। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत करते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया। आने-जाने वाले महिलाओं व जनता के व्यक्तियों से गवाही के लिये कहा गया तो भलाई-बुराई के कारण कोई भी तैयार नहीं हुआ। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजनों को थाना पहुंच कर दी गयी थी। फर्द मौके पर महिला कां. मंजू द्वारा अपने हस्तलेख में लिखी गयी थी। जिस पर मैंने भी हस्ताक्षर किये थे। मूल फर्द गिरफ्तारी आज शामिल पत्रावली है। जिस पर प्रदर्श क-1 अंकित है। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे। "

को तस्दीक की। "

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.-4 कैलाश कुमार से जिरह की गयी, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि " अप्रैल 2017 से सितम्बर 2021 तक जनपद मैनपुरी में तैनात रहा। उक्त घटना के समय थाना- कोतवाली में तैनात था। घटना किस दिन की है। मुझे याद नहीं है। समय लगभग- 11:10 बजे सुबह का था। समय लगभग- 11:10 बजे सुबह पर उक्त घटना घटित हो रही थी। घटना लगभग 10 बजे से 15 मिनट तक चलती रही थी। इस दौरान उक्त अभियुक्त महिलाओं पर अश्लील कमेंट कस रहा था। जिन महिलाओं पर उक्त व्यक्ति कमेंट कस रहा था। उन्होंने किसी ने भी न तो कोई शिकायत की थी न ही हम लोगों को कोई बयान अंकित कराये गये। उक्त घटना की

सूचना मुझे फोन द्वारा मिली थी। समय लगभग– 11:02 मिनट का था। जब मेरे पास कॉल आयी उस समय में 500 मीटर की दूरी पर फूलबाग में था। फोन से सूचना मिलने पर मैं तुरन्त लोहिया पार्क आ गया था। सारी घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा था। घटना के समय मैं एंडराइड फोन यूज करता था। परन्तु मैंने घटना की वीडियो नहीं बनायी थी। क्योंकि मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं समझी थी। घटना की सूचना मुझे महिला कां. मंजू से मिली थी। उस समय लोहिया पार्क में सुरक्षा हेतु चौकीदार की नियुक्ति थी। घटना के सम्बन्ध में चौकीदार द्वारा कोई कथन नहीं किया गया और न ही किसी को कोई सूचना दी गयी। फर्द मेरे सामने बनायी गयी थी। अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई थी। गिरफ्तारी पर कुल चार लोगों ने हस्ताक्षर किये थे। मैंने भी गिरफ्तारी फर्द पर हस्ताक्षर किये थे। उक्त घटना के समय 50–100 लोक उपस्थित रहे होंगे। परन्तु किसी ने भी उक्त ~~नीलेश~~ नितेश कुमार के विरूद्ध घटना की सत्यता प्रमाणित करने हेतु बयान अंकित नहीं कराये। यह कहना गलत है कि हम लोगों ने स्वतंत्र साक्षियों के बयान एवं फर्द पर हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता न समझी हो। यह कहना भी गलत है कि मैंने घटना स्थल पर उपस्थित न रहा हूं और उच्चाधिकारियों के कहने से आज माननीय न्यायालय में बयान अंकित करा रहा हूं। उक्त घटना का बयान मुझसे विवेचक ने थाना– कोतवाली में लिया था। दिनांक मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान विवेचक द्वारा न लिया गया हो। घटना के समय मेरे अतिरिक्त तीन महिला आरक्षी भी घटनास्थल पर उपस्थित थीं। किसी ने भी कोई वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटो आदी नहीं खींचे थे। लोहिया पार्क में सीसी टीवी कैमरे लगे हैं अथवा नहीं मुझे जानकारी नहीं है। "

14– अभियोजन की ओर से साक्षी **पी.डब्लू.–5 एकता सिंह (इंस्पेक्टर)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " दिनांक 17.11.2019 को मुझे विवेचना उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेश से मिली। जिसमें मुझे पंजीकृत नकल चिक, नकल रपट, वास्ते विवेचना प्रदान की गयी। पर्चा संख्या–1 दिनांक– 17.11.2019 को मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट, नकल फर्द, एक नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा– 294 भारतीय दंड संहिता नकल रपट रोजनामचा आम बयान एफ.आई.आर. लेखक सी.सी. 85 सीमा सिंह बयान वादिया महिला कां. मंजू अंकित किये गये। तदुपरान्त फर्द सम्बन्धित गवाही को बयान हेतु देखा गया तो मौजूद नहीं मिले। तत्तपश्चात मैंने वादिया महिला कां. मंजू से निरीक्षण घटना स्थल कराये जाने हेतु साथ लेकर घटना स्थल लोहिया पार्क में पहुंचे जहां वादिया मुकदमा के निशानदेही पर निरीक्षण घटना स्थल किया गया एवं नक्शा–नजरी तैयार किया गया। ब्यान अभियुक्त ~~नीलेश~~ नितेश कुमार अंकित किये गये। पर्चा संख्या–2 मेरे द्वारा दिनांक– 30.11.2019 किता किया गया। जिसमें मेरे द्वारा बयान गवाह महिला कां. १३७ मौनी महिला को ४०७ सविता पाण्डेय, कां. ९९८ कैलाश के बयान अंकित किये गये। बयान समय साक्षी इरदीश , रंजीत, अंकित किये गये। पर्चा नं.– 3 मेरे द्वारा दिनांक– 05.12.2019 को किता किया गया। जिस पर मेरे द्वारा वादी महिला कां. १०४५ मंजू की तहरीर के आधार पर बयान वादिया विवेचना से अभियुक्त ~~नीलेश~~ नितेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार के विरूद्ध जुर्म धारा– 294 भारतीय दंड संहिता बखूबी साबित होने पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध चालान धारा– 294 भारतीय दंड संहिता में आरोप–पत्र संख्या– 22 दिनांक– 05.12.2019 न्यायालय प्रेषित किया गया। मेरे द्वारा तैयार नक्शा नजरी व किता आरोप–पत्र आज मेरे सामने द्वारा वी.सी. मौजूद है। जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर को तस्दीक करती हूं। जिस पर क्रमशः प्रदर्श क–2 व 3 डाला गया। "

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.–5 एकता सिंह से जिरह की गयी, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि " उक्त विवेचना घटना वाले दिन दिनांक– 17.11.2019 को मिली। मौखिक रूप से उच्चाधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी। नक्शा–नजरी मैंने एफ.आई.आर. वाले दिन ही बनायी थी। विवेचना मिलने के बाद नक्शा–नजरी बनायी थी। मुझे घटना का समय याद नहीं है। घटना दिनांक– 17.11.2019 की है। आरोप–पत्र मैंने दिनांक– 05.12.2019 को न्यायालय में दाखिल कर दिया था। लगभग 10 दिन में कुल तीन पर्चे काटकर सम्पूर्ण विवेचना समाप्त कर दी। मैंने कुल सात लोगों की गवाही ली थी। मैंने वादी के बयान अंकित किये थे, जो कि पर्चा नम्बर–1 पर किता है। घटना लोहिया पार्क मूर्ति के पास की है। मैंने घटना के इलेक्ट्रानिक साक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मिले नहीं थे। घटना के समय कोई भी सी.सी.टी.वी. कैमरा सही नहीं था। यह मुझे बताया गया। घटना के समय मैं घटना स्थल पर नहीं थी। विवेचना में उसी दिन बाद में दी गयी थी। यह कहना गलत है कि मैंने जनता का कोई स्वतंत्र गवाह के बयान ना लिये हों। घटना से सम्बन्धित कोई भी वीडियो/रिकोर्डिंग किसी भी गवाह द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी और ना ही

मुझे लोहिया पार्क प्रशासन द्वारा घटना के सम्बन्ध में कोई वीडियो साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया। यह कहना गलत है कि उक्त विवेचना मैंने सही तरीके से नहीं की है। विवेचना के समय मैं महिला थाना-मैनपुरी में उप-निरीक्षक के पद पर तैनात थी। मैनपुरी में मैं कब से कब तक रही हूं मुझे अब याद नहीं है। "

15- अभियोजन की ओर से साक्षी पी.डब्लू.-6 LC. 1624 सीमा सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " दिनांक- 17.11.2019 समय 12:02 बजे मैं महिला थाना मैनपुरी में अपने पद पर तैनात थी। समय करीब 12:02 बजे पर एन्टी रोमियो जिसमें महिला कां. 1045 मंजू १३७ मोनी, ९९८ कैलाश कुमार, लेडी कां. सविता पाण्डेय (4) थाने पर आये मय गिरफ्तार शुदा निलेश पुत्र प्रेम कुमार, निवासी- पडरौना, थाना- एलाऊ, मैनपुरी थाने पर आये। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या - 22/2019, अन्तर्गत धारा- 294 भारतीय दंड संहिता, थाना- महिला थाना, पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना थाना प्रभारी महिला थाना एकता सिंह को मय पंजीकृत, मय नकल चिक, नकल रपट व दीगर कागज प्रदान की गयी और उप-जिलाधिकारियों को सूचना प्रदान की गयी। एफ.आई.आर. मामला उपरोक्त मेरे द्वारा लिखी गयी थी। एवं जी.डी. दाखिला मेरे द्वारा किता किया गया। उपरोक्त दोनों आज मेरे सामने पत्रावली पर मौजूद है जिसे मैं तस्दीक करती हूं, जिस पर प्रदर्श क-4 व 5 डाला गया। "

बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी.डब्लू.-6 सीमा सिंह से जिरह की गयी, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि " मैं नीलेश कुमार के विरुद्ध गवाही हेतु न्यायालय में उपस्थित हुयी हूं। उक्त घटना विवेचक द्वारा मेरे बयान लिये गये थे अथवा नहीं मुझे याद नहीं है। गवाहान जिरह में मेरा नाम नहीं है। न्यायालय ने मुझे गवाही हेतु सम्मन जारी किया था। इसलिए मैं आज न्यायालय में गवाही हेतु आयी हूं। घटना मैंने देखी नहीं थी। एफ.आई.आर. व जी.डी. मैंने लिखी थी। घटना में एफ.आई.आर. लेखक हूं। उक्त की एफ.आई.आर. एन्टी रोमियो टीम अभियुक्त नीलेश को पकड़कर लेकर आयी थी। उसके बाद दर्ज करायी थी। पूरी टीम एक साथ आयी थी। उसके बाद एफ.आई.आर. दर्ज करायी थी। तहरीर पहले से लिखकर लाये थे। तहरीर पर महिला कां. मंजू का नाम अंकित है। जिसे मैंने शब्द व शब्द अंकित किया था। उस समय मैं महिला थाना मैनपुरी में जी.डी. लेखक के पद पर तैनात थी। "

निष्कर्ष

16- अभियोजन का यह कथन है कि दिनांक- 17.11.2019 को वादिनी कां. 1045 मन्जू मय हमराही महिला कां. १३७ मोनी, महिला कां. ४०७ सविता पाण्डेय एन्टी रोमियो टीम के रोकने जुर्म जयराम व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में मामूर थी कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि लोहिया पार्क में राम मनोहर लोहिया मूर्ति के पास एक व्यक्ति आने-जाने वाली महिलाओं के साथ अश्लील फब्तियां कस रहा है। सूचना पर विश्वास करके कां. ९९८ कैलाश कुमार को वाला-वाला तलब कर लिया। मुखबिर के साथ चलकर बताये गये स्थान पर चल दिये। जब हम पुलिस वाले लोहिया पार्क में राम मनोहर लोहिया मूर्ति वाले तिराहा मोड़ पर पहुंचे तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है वहीं व्यक्ति है और मुखबिर चला गया था। हम पुलिस वाले मूर्ति के पास बांई ओर खड़े होकर सुनने व देखने लगे तो खड़ा व्यक्ति पार्क में घूमने वाली लड़कियों पर फब्तियां कस रहा था कि मेरी जान यहां आओ। आने-जाने वाली लड़कियों को बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। कानों से सुनकर जब हम पुलिस वालों को पूर्ण विश्वास हो गया तब हमने घेर-घोर करके एक बार दबिश देकर राम मनोहर लोहिया मूर्ति के पास खड़े व्यक्ति को समय करीब 11:10 बजे कां. ९९८ कैलाश कुमार एन्टी रोमियो टीम, थाना- कोतवाली की मदद से पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूंछने पर व्यक्ति ने अपना नाम नीतेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार निवासी- पड़ौरा, थाना- एलाऊ, जिला- मैनपुरी उम्र करीब- 26 वर्ष बताया। कां. ९९८ कैलाश कुमार द्वारा जामा तलाशी ली तो पहने कपड़ों के अलावा कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। कारण गिरफ्तारी बताते हुए अन्तर्गत धारा- 294 भारतीय दंड संहिता पुलिस हिरासत में लिया गया। क्योंकि अभियुक्त का यह जुर्म धारा - 294 भारतीय दंड संहिता की हद को पहुंचता है। आने वाली महिलाओं एवं जनता के व्यक्तियों से गवाही को कहा गया तो भलाई-बुराई का कारण बताते हुए जनता का कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ।

17- अपने कथन को साबित करने के लिये अभियोजन द्वारा कथन को सिद्ध करने के लिये अभियोजन द्वारा पी.डब्लू.-1, पी.डब्लू.-2, पी.डब्लू.-3, पी.डब्लू.-4, पी.डब्लू.-5 व पी.डब्लू.-6 को परीक्षित कराया है एवं उनके प्रदर्श क- 1 तहरीर, प्रदर्श क- 2 नक्शा-नजरी, प्रदर्श क- 3 आरोप-पत्र, प्रदर्श क- 4 प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्रदर्श क- 5 जी.डी. द्वारा साबित

कराये गये हैं। अभियोजन द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह अपराध महिलाओं के विरूद्ध है। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

18– बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया गया है एवं मात्र तथाकथित मुखबिर खास के कथन पर यह मुकद्दमा दर्ज किया है। विवेचक द्वारा मात्र तीन पर्चों में विवेचना समाप्त कर दी गयी है एवं पुलिस के गवाहों के कथनों में गम्भीर विरोधाभाष है। अभियुक्त पर झूंठा आरोप लगाया गया है एवं वह संदेह का लाभ पाते हुए दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

19– न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा– 294 भारतीय दंड संहिता को युक्तियुक्त को संदेह से परे साबित करने में सफल रहे हैं अथवा नहीं।

धारा– 294 भारतीय दंड संहिता यह प्रावधानित करती है कि

(क)– जो कोई किसी लोक स्थान में एवं अश्लील कार्य करेगा

अथवा

(ख)– किसी लोक स्थान में यह उसके समीप कोई अश्लील गाने एवं पवांडे या शब्द कहेगा, सुनायेगा या उचारित करेगा, जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

20– **अभियोजन पी.डब्लू.–1 वादिनी मुकद्दमा को परीक्षित कराया है। वादिनी मुकद्दमा चक्षुदर्शी साक्षी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि** दिनांक– 17.11.2019 को मुखबिर सूचना मिली थी कि राममनोहर लोहिया पार्क में राममनोहर लोहिया मूर्ति के पास एक व्यक्ति आने जाने वाली महिलाओं के साथ अश्लील फब्तियां कस रहा है। जब वह लोहिया पार्क में बताये गये स्थान पर पहुंचे तो मुखबिर ने इशारा करके बताया सामने जो व्यक्ति खड़ा है। पुलिस वाले मूर्ति के पास खड़े होकर सुनने व देखने लगे तो खड़ा व्यक्ति पार्क में घूमने वाली लड़कियों पर फब्तियां कस रहा था कि " मेरी जान यहां आओ", आने जाने वाली लड़कियों को शर्म महसूस हो रही थी। कानों से सुनकर विश्वास होने पर उस व्यक्ति को पकड़ा गया। बचाव पक्ष द्वारा जिरह में पी.डब्लू.–1 ने यह कथन किया है कि सूचना किसने दी वह नहीं बता सकती है एवं पब्लिक का आदमी था। सूचना किसने दी नहीं बता सकती है एवं पब्लिक का आदमी था किसी आदमी ने बताया था कि राम मनोहर लोहिया मूर्ति के पास एक लड़का आने जाने वाली महिलाओ पर कस रहा है। जो व्यक्ति महिलाओं पर कमेन्ट कस रहा है उस समय वह अकेला था। उस समय वहां पर कोई महिला नहीं थी। बताकर चली गयी थी। इस जिरह से यह स्पष्ट है कि पी.डब्लू.–1 ने यह स्वीकार किया है कि जो व्यक्ति महिलाओं पर कमेन्ट कस रहा था उस समय वह अकेला था। उस समय वहां पर कोई महिला नहीं थी। जिरह में पी.डब्लू.–1 ने यह भी कथन किया गया है कि महिला बताकर चली गयी थी और उस महिला का नाम पी.डब्लू.–1 को नहीं मालुम है, परन्तु अपनी मुख्य परीक्षा में मात्र मुखबिर द्वारा बताया जाने का कथन किया गया है। पी.डब्लू.–1 ने यह भी स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त की किसी बातों को रिकार्ड नहीं किया था। अपनी मुख्य परीक्षा में पी.डब्लू.–1 ने कहा है कि अभियुक्त पार्क में घूमने वाली लड़कियों पर फब्तियां कस रहा था। जिसे पुलिस वालों ने अपने कानों से सुना था, परन्तु जिरह में वहां पर किसी महिला का न होना बताया गया है।

21– पी.डब्लू.–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अपनी जिरह में पी.डब्लू.–2 ने दिन के साढ़े 11:30 बजे थाने में सूचना आना बताया है एवं एस.एच.ओ. महोदय के एन्टी रोमियो टीम का साथ वहां जाने के आदेश के बाद पार्क में पहुंचना बताया है। यह भी कहा है कि इन सभी कार्यक्रम में 30 मिनट लगे होंगे। यानी पी.डब्लू.–2 को बताये अनुसार पुलिस कार्यक्रम के 12 बजे बाद पहुंचे होंगे, जबकि पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–3, पी.डब्लू.–4 जो घटना के चश्मदीद साक्षी हैं उनके द्वारा सूचना लगभग 11:00 बजे होना एवं घटनास्थल पर उसके 5–10 मिनट बाद पहुंचना बताया गया है। अतः पी.डब्लू.–2 के साक्ष्य में घटना के समय को लेकर अन्य साक्षीगण से परस्पर विरोध है। पी.डब्लू.–2 ने जिरह में यह भी कथन किया है कि जब वह लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो अभियुक्त टहल रहा था। अभद्र टिप्पणी करते हुए पी.डब्लू.–2 ने उसे नहीं देखा। जबकि अपनी मुख्य परीक्षा में पी.डब्लू.–2 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभियुक्त खड़ा था और पार्क में घूमने वाली लड़कियों पर फब्तियां कस रहा था, जिससे कानों से सुनकर विश्वास करके पी.डब्लू.–2 व अन्य पुलिस वालों ने दबिश देकर 11:10 बजे पकड़ लिया था। पी.डब्लू.–2 के साक्ष्य में गम्भीर अन्तरविरोध है।

22– पी.डब्लू.–3 ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि हाजिर अदालत मुल्जिम को आज से पहले उसने कभी नहीं देखा है। जबकि पी.डब्लू.–3 स्वयं फर्द गिरफ्तारी की गवाह हैं जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी थी। अपनी जिरह में पी.डब्लू.–3 ने आगे यह कथन किया है कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कोई एक लड़का लोहिया के गेट पर अन्दर महिलाओं पर फब्तियां कस रहा था। सूचना मिलने पर पी.डब्लू.–3 लोहिया पार्क पर गेट पर पहुंच गया थी। पी.डब्लू.–3 ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि उसने किसी महिला व स्त्री से नहीं पूछा था कि कौन –सा लड़का फब्तियां व कमेन्ट कस रहा था। मुखबिर के बताने पर वे लोग पहुंचे थे। उसी के बताने पर एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी थी। मुखबिर उसे याद नहीं है। ऐसा भी सम्भव है कि अभियुक्त नीलेश कुमार के मुखबिर से पूर्व द्वेष रहा हो। इस कारण उसने षडयन्त्र रचाकर उसने एफ.आई.आर. दर्ज करायी हो।

यहां यह उल्लेखनीय है कि चूंकि अपराध महिलाओं के विरुद्ध है पुलिस द्वारा किसी महिला व स्त्री से न पूंछा जाना बहुत बड़ी चूक है। पी.डब्लू.–3 ने मुखबिर के बताने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराना बताया गया है जबकि अपनी मुख्य परीक्षा में पी.डब्लू.–3 ने यह कथन किया है कि पुलिस वालों के सामने अभियुक्त घूमने वाली लड़कियों पर फब्तियां कस रहा था अपने कानों से सुनकर विश्वास करके दबिश देकर अभियुक्त को पकड़ लिया गया था। पी.डब्लू.–3 ने अपनी जिरह में यह भी स्पष्ट किया है कि नीलेश को उसके सामने हिरासत में नहीं लिया गया था जबकि पी.डब्लू.–3 स्वयं फर्द गिरफ्तारी की गवाही है व फर्द गिरफ्तारी पर उनके हस्ताक्षर हैं। अपनी जिरह में पी.डब्लू.–3 ने यह भी संभावना व्यक्त की है कि अभियुक्त नीलेश कुमार के मुखबिर से पूर्व द्वेष रहा हो।

विधि का सुस्थापित नियम है कि अभियुक्त पर लगे आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होने चाहिये। गवाह स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसी संभावना है कि अभियुक्त का मुखबिर से पूर्व द्वेष रहा हो जिसके कारण षडयन्त्र रचाकर एफ.आई.आर. दर्ज करायी हो। ऐसे में अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न होता है।

23– पी.डब्लू.–4 ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि उक्त घटना के समय 50–100 लोग उपस्थित रहे होंगे, परन्तु फिर भी पुलिस द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी के बयान नहीं लिये गये हैं।

24– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने Monu Kumar Vs. State Of U.P. Case: APPLICATION U/S 482 No.4223 of 2024 में धारा– 294 भारतीय दंड संहिता के आवश्यक तत्व उल्लिखि किये हैं।

27. It is further observed there that the object and scope of the section 294 of IPC is intended to prevent an obscene or indecent act being performed in public to the annoyance of public at large. Section 294 I.P.C. is reproduced hereinunder:–

"Section 294 :Obscene acts and songs

Essential ingredients:

1. Doing of any obscene act in a public place, or
2. Anyone sings, recite or utters any obscene song, ballad or words in or near any public place
3. By such act annoyance is caused to a particular person or persons in general."

28. Thus, from the aforesaid, it is clear that mere performance of obscene or indecent act is not sufficient, but there must be a further proof establish that it was to the annoyance of others, thereby annoyance to others is essential to constitute an offence under this section. Moreso, when the said section says "annoyance to others" is a prerequisite to invoke the provision, then the issue of "obscenity or indecency per se" will not arise until or unless there is evidence on record to see that a person at a given time witnessing particular obscene act was actually annoyed or not. He further submitted that none of the female have been examined to establish that the alleged act of passing obscene comment upon the passing females have caused them annoyance and in absence of such evidence the impugned charge–sheet and summoning order are devoid of any merit and gross abuse of process of law.

allegations. Further the charges do not show that on hearing the obscene words, which were allegedly uttered by the petitioners, the witnesses felt annoyed. No one has spoken about the obscene words, they felt annoyed and in the absence of legal evidence to show that the words uttered by the petitioners annoyed others, it cannot be said that the ingredients of the offence under Section 294(b) of IPC is made out. It is relevant to rely upon the judgment reported in 1996(1) CTC 470 in the case of K.Jeyaramanuju Vs. Janakaraj & anr., which held as follows:-

"To prove the offence under Section 294 of IPC mere utterance of obscence words are not sufficient but there must be a further proof to establish that it was to the annoyance of others, which is lacking in the case."

25- धारा- 294 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत यह आवश्यक तत्व है कि उस कार्य से दूसरों को क्षोभ होना पूर्वाकांक्षित है। प्रस्तुत प्रकरण में पार्क में उपस्थित किसी भी महिला एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया है जिसके द्वारा यह कथन किया गया है कि वह क्षोभित हुये हों। इसके अतिरिक्त चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्लू.-2 सविता पाण्डेय ने अपने सामने टिप्पणी किये जाने से इन्कार किया है। चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्लू.-3 मोनी ने अभियुक्त को पहले कभी नहीं देखे जाने का कथन किया है कि वादिनी मुकद्दमा द्वारा स्वयं घटना के समय अभियुक्त का अकेले होना बताया है एवं कथन किया है कि उस समय वहा पर कोई महिला नहीं थी। पी.डब्लू.-4 द्वारा घटनास्थल पर 50-100 लोगों की उपस्थित होना का कथन किया गया है। ऐसे में एक भी स्वतंत्र साक्षी की गवाही न लिया जाना घटनास्थल को संदेहास्पद बनाता है। उपरोक्त विश्लेषण से अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा- 294 भारतीय दंड संहिता युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहे हैं।

26- अतः उपरोक्त धारा के अन्तर्गत इस सन्दर्भ में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान नहीं है। जिससे उपरोक्त धारा के आवश्यक तत्व साबित हो सके। अतः धारा- 294 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अभियुक्त नीलेश कुमार पुत्र प्रेम कुमार को संदेह का लाभ प्राप्त करते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं। नीतेश

आदेश

अभियुक्त नीलेश (नीतेश) कुमार पुत्र प्रेम कुमार, निवासी- ग्राम मडौरा, थाना- एलाऊ, जिला- मैनपुरी को दण्डवाद संख्या- 1792/2024, अपराध संख्या-22/2019, अन्तर्गत धारा -294 भारतीय दंड संहिता, थाना- महिला थाना, जिला मैनपुरी के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त नीलेश (नीतेश) कुमार पुत्र प्रेमकुमार उपरोक्त प्रकरण में जमानत पर है, उनके निजी बन्धपत्र तथा जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते है तथा जमानतीयों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा-437 ए द.प्र.स. के अन्तर्गत दाखिल किये गये व्ययिक्तगत बन्ध पत्र एंव जमानत नामे 06 माह की अविध तक वैध रहेंगे।

Aushika Lal 19/12/2025

दिनांकः- 19.12.2025

(अंशिका लाल)
अपर सिविल जज (अवर वर्ग), कोर्ट सं० 1, मैनपुरी
आई.डी.नं.-UP03271

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Aushika Lal 19/12/2025

दिनांकः- 19.12.2025

(अंशिका लाल)
अपर सिविल जज (अवर वर्ग), कोर्ट सं० 1, मैनपुरी
आई.डी.नं.-UP03271

208756